राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : भूमि / एफ.7(ड) / (10) / डीएलबी / 15 / 1125 दिनांक :–28/1/2016

–:: परिपत्र ::–

राज्य के नगरीय निकायों द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) 1974 नियम 15 एवं 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत नीलामी एवं लाटरी द्वारा विक्रय / आवंटित भूखण्डों की राशि समयावधि में जमा नहीं कराये जाने पर नियमितिकरण की स्वीकृति प्रकरण विभाग को प्रेषित किये जाते है। निकायों द्वारा प्रेषित प्रकरणों में अधिकांश प्रकरण ऐसे पाये गये है जिनमें निकायों द्वारा 05 से 40 वर्ष पूर्व में आवंटित / विक्रय किये गये भूखण्डों, जिनकी आवेदन के समय की राशि / नीलामी के समय 1/4 राशि जमा कराने के बाद आवंटन / नीलामी की बकाया 3/4 राशि अब तक संबंधितों के द्वारा जमा नहीं कराई गई है तथा आवंटी अब उक्त भूखण्डों की बकाया राशि जमा कराना चाहते है। संबंधित आवंटियों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर निकायों द्वारा नियमिकिरण की राजकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये जा रहे है।

चूंकि राज्य के नगरीय निकायों की आथिक स्थिति सुदृढ नही है। 5 से 40 वर्ष पूर्व में निकायों द्वारा आवंटित / विक्रय किये गये भूखण्डों जिनकी तत्समय आवंटन / नीलामी की राशि नाम मात्र की थी, जिनका राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 15 एवं 17 के अन्तर्गत नियमितिकरण करने पर बकाया 3/4 राशि मय 15 प्रतिशत बयाज एवं नाममात्र की शास्ती के रूप में जमा करवाये जाने पर निकायों को बहुत कम मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है तथा निकायों को काफी आर्थिक हानि उठानी पडती है। जिससे निकाय क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यो पर भी विपरीत प्रभाव पडता है।

अतः राज्य के नगरीय निकायों की वर्तमान कमजोर आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुये राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 15 एवं 17 के अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों में आवंटित / नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्डों की बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नांनुसार निर्देश प्रदान किये जाते है:–

1. नगर निकायों द्वारा आवंटन / नीलामी की दिनांक से अब तक जिन प्रकरणों में नीलामी के समय जमा 1/4 राशि अथवा आवंटन के समय जमा राशि के बाद आवंटीगण / क्रेतागण द्वारा बकाया राशि नियमानुसार ब्याज व शास्ती के जमा कराने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। उन सभी प्रकरणों की निकाय स्तर पर जांच कर निकाय में उपलब्ध ऐसे समस्त भूखण्डों की एकजाई सूची तैयार की जावे तथा ऐसे प्रकरणों में निकाय द्वारा पूर्व में किये गये आवंटन / नीलामी की कार्यवाही को सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावे एवं ऐसे समस्त भूखण्डों को सार्वजनिक नीलामी से विक्रय करने की नये सिरे से कार्यवाही आरम्भ की जावे।

....2

2. राज्य की नगरीय निकायों द्वारा दिनांक 01.01.2010 के पश्चात आवंटन/नीलाम के विक्रय किये गये भूखण्डों, जिनमें आवंटियों/केताओं द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करायी गई है, ऐसे भूखण्डों हेतु नियमानुसार देय राशि जमा कर भूखण्डों के आवंटन को बहाल किये जाने की शक्तियां जो राज्य सरकार में निहित है, वह शक्तियां दो माह के लिए एक बारीय **(on a one time basis)** नगरीय निकायों को आवंटित/नीलामी में कयशुदा भूखण्ड की समस्त राशि बकाया यथा–मूलधन + ब्याज + शास्ति अथवा भूखण्ड की वर्तमान डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो, जमा करायी जाने पर प्रदान की जाती है।
3. इस दो माह की अवधि में यदि आवंटी/केता अपने आवंटित भूखण्डों की राशि जमा करवाकर नियमितीकरण हेतु आवेदन नहीं करता है तो ऐसे सभी भूखण्डों का आवंटन/विक्रय निरस्त करते हुये कब्जा प्राप्त कर इनका पुनः नीलामी के जरिये निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
4. बिन्दु सं. 1 व 3 के अनुसार निरस्त किसी भी भूखण्ड के नियमितिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विभाग को प्रेषित नहीं किये जावे।
5. उक्त दो माह की अवधि की गणना परिपत्र जारी होने की दिनांक से मानी जावेगी। उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(पुरूषोत्तम बियाणी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)/(10)/डीएलबी/15/1126-1546 दिनांक :– 28.1.2016

प्रतिलिपिः– निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. समस्त महापौर/सभापति, अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/ पालिकाये, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/ पालिकाये, राजस्थान।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक